संख्या- 08 / 2017 /2702/ चार-2016-221 (वि0)/13

प्रेषक,

डा0 हरिओम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी,2017

विषय:- मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2339/सं0नि-23 (88)/2013-14, दिनांक 09 दिसम्बर,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 12,36,02,000/- (रूपये बारह करोड. छत्तीस लाख दो हजार मात्र) का परीक्षण करते हुए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 12,16,82,000/- (रूपये बारह करोड. सोलह लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम चरण में शासनादेश संख्या-12/130/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक 25 फरवरी,2015 द्वारा रू0 2,00,00,000/- (रूपये दो करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक मॉग के माध्यम से रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड मात्र) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन निदेशक, संस्कृति के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है कि धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कराये गये कार्यो की भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-12/130/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक 25 फरवरी,2015 तथा शासनादेश संख्या-162/2016/2148/चार-2016-221(वि0)/13 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -2205-कला एवं संस्कृति -आयोजनागत -101-ललित कला शिक्षा-24-मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय , रामपुर -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - 08 /2017/2702 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, रामपुर ।
3- रजिस्ट्रार , मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), रामपुर ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।